?/8/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधि. उप.। प्रतिवादी सं. 2/1
उप.। प्रतिवादी सं. 2/1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध
में द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल
अजमेर में अपील सं. 8710/2012 उनवान नारायण सिंह
बनाम भंवर सिंह वगै. विचाराधीन होने का कथन किया
तथा समर्थन में आदेशिका की आंशिक प्रति पेश की, शा.
मिसल की गई। पत्रावली वास्ते वादपत्र के अनुसार पूर्ववर्ती
वाद की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने हेतु वादी के लिये दिनांक
16/9/25 को पेश हो।
20/8/25

16/9/25 पत्रावली पेश हुई। वादी- प्रतिवादी अधिवक्ता उप.। प्रतिवादी
अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा में न्यायालय
कार्यालय कलक्टर द्वारा पूर्ववर्ती वाद संख्या 210/09 नि. दिनांक
19/1/2011 के क्रियान्वयन पर पारित स्थगन आदेश दिनांक
22/2/2011 की प्रति पेश की, शा. मिसल की गई। पत्रावली
वास्ते पूर्ववर्ती वाद की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु दिनांक
7/10/25 को पेश हो।
16/9/25

7/10/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान अधिवक्ता उप.। वादी
द्वारा ग्राम आंबाजेड़ी तहसील भीलवाड़ा की वादग्रस्त आराजी
सं. 417/114 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में
दायर वाद सं. 728/2002, अपील सं. 31/2004, पुनः दायर वाद
सं. 210/2009 नि.दि. 19/1/2011, अपील संख्या 30/2011 निर्णय
दिनांक 19/9/2012 में वर्तमान वाद के वादी एवं प्रतिवादीगण
पक्षकार थे। पूर्व में दायर वाद की द्वितीय अपील वर्तमान
में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील
डिक्री सं. 8710/2012 लम्बित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद
एवं पूर्ववर्ती वाद के सम्बन्ध में उभयपक्षकारान अधि.
की बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत

प्रकरण सं. ....

उनवान

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/10/25	प्रथम अपील संख्या 30/2011 नि.दि. 19/3/2012 के सम्बन्ध में पारित समागत आदेश दिनांक 19/1/2011 एवं द्वितीय अपील सं. 8710/2012 के दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सं. 76/13 में वादग्रस्त भूमि ग्राम आंबाखेड़ी की आराजी सं. 417/114 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा पूर्ववर्ती वाद में भी विचाराधीन रही है। एवं पक्षकारान समान है तथा वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः वर्तमान में विचाराधीन वाद संख्या 76/13 को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हम यह उचित समझते है कि विचाराधीन वाद संख्या 76/13 धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता से बाधित है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जाता है। विधि सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो, टेकी पर्चा जारी हो और नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 7/10/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	